दिनांक 05.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना इगलास

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये व 25 हजार रूपये कुल 75 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 04 लाख 68 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.02.2025 को थाना इगलास व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमरपुर धाना के पास गोरई रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 04 लाख 68 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़, हाथरस व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इगलास जनपद अलीगढ़ व जयपुर राजस्थान में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये एवं जयपुर राजस्थान से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इगलास पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि निवासी मई थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 04 लाख 68 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद उन्नाव/थाना बिहार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.02.2025 को थाना बिहार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा पाटन पुरवा तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्द्रप्रकाश उर्फ पुतई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिहार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रप्रकाश उर्फ पुतई निवासी ऊंचगांव सानी थाना बीघापुर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—पीली धातु के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.02.2025 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बढ़पुरा नाले की पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त पवन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पवन निवासी ग्राम बढ़पुरा थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

कमिश्नरेट आगरा/थाना मलपुरा

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.02.2025 को थाना मलपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालऊ पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ बाबी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सैंया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अशोक कुमार उर्फ बाबी निवासी शेरपाडा शीतलागली थाना बाडी जनपद धौलपुर राजस्थान, हालपता नगला करन सिंह सेवला थाना सदर कमिश्नरेट आगरा।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 01 लाख 13 हजार 499 रूपये नगद**
- **लूटे गये (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 05.02.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–पवन 2–शिवम 3–सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 01 लाख 13 हजार 499 रूपये नगद, लूटे गये (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा धारा 333/103(1)/309(6) बीएनएस की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पवन निवासी ग्राम महेपा जागीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–शिवम निवासी ग्राम महेपा जागीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–सौरभ निवासी ग्राम महेपा जागीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लूटे गये 01 लाख 13 हजार 499 रूपये नगद।

2–लूटे गये (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना का अनावरण**
- **लूटे/चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **14 हजार 750 रूपये नगद**
- **अन्य सामान**
- **01 मोटर साइकिल**
- **ताला तोड़ने के उपकरण**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.02.2025 की रात्रि थाना शाहपुर, थाना भोपा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंधेडा रजवाहे के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रिंकू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–पंकज 3–वंश 4–शिवम उर्फ टीटी 5–आदित्य सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे/चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 14 हजार 750 रूपये नगद, अन्य सामान, 01 मोटर साइकिल, ताला तोड़ने के उपकरण, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी निहोरी थाना फलावदा जनपद मेरठ।

2–पंकज निवासी मुक्तेसरा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

3–वंश निवासी महलका थाना फलावदा जनपद मेरठ।

4–शिवम उर्फ टीटी निवासी नोहोरी थाना फलावदा जनपद मेरठ।

5–आदित्य निवासी निहोरी थाना फलावदा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूटे गये/चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–14 हजार 750 रूपये नगद।

3–अन्य सामान।

4–01 मोटर साइकिल।

5–ताला तोड़ने के उपकरण।

6–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- **05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **500 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनॉकः 04.02.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाकिमपुरा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शोएब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) से 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, उत्तराखण्ड के थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शोएब निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–500 ग्राम अवैध चरस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मड़ियांव

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 22 हजार 200 रूपये नगद**
- **03 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.02.2025 को थाना मड़ियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मड़ियांव पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–मोहम्मद फहीम 2–मोहम्मद शोएब 3–अंकुल 4–मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 22 हजार 200 रूपये नगद, 03 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0फहीम के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त अंकुल के विरूद्ध जनपद बाराबंकी व

कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त मो0शोएब के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त मो0कलीम के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहम्मद फहीम निवासी देवलोकपुरी कॉलोनी थाना अलीगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2—मोहम्मद शोएब निवासी बड्डुपुर ग्राम धधरा बझियापुर थाना बाराबंकी, हालपता इंटौंजा क्रासिंग के पास थाना इंटौजा कमिश्नरेट लखनऊ।

3—अंकुल निवासी लोहंगपुर थाना महिंगवां कमिश्नरेट लखनऊ।

4—मोहम्मद कलीम निवासी ग्राम मनवा बाड़ी थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण।

2—चोरी के 22 हजार 200 रूपये नगद।

3—03 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कासगंज/थाना सिकन्दरपुर वैश्य

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में (पीली—सफेद) धातु के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 04.02.2025 को थाना सिकन्दरपुर वैश्य पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरदौली—सिकन्दरपुर वैश्य रोड से 02 अभियुक्तों 1—आशीष 2—बुद्धपाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में (पीली—सफेद) धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिकन्दरपुर वैश्य क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष के विरूद्ध जनपद बदायूं, कासगंज के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त बुद्धपाल के विरूद्ध जनपद कासगंज के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरपुर वैश्य पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष निवासी नगला दुर्जन थाना उसहैत जनपद बदायूं।

2—बुद्धपाल निवासी नगला जयकिशन थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—चोरी की भारी मात्रा में (पीली—सफेद) धातु के आभूषण।

- **जनपद फतेहपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद फतेहपुर पुलिस ने अभियुक्त हाजी रजा मोहम्मद उर्फ हाजी मोहम्मद रजा पुत्र मुवीन निवासी मोहल्ला पनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद बलिया/थाना दोकटी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना दोकटी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सुरसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सुरसा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 26 हजार 500 :पये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–फखरूद्दीन उर्फ मुन्नू 2–वसी 3–छोट्टन को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26 हजार 500 :पये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना लहरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामबाबू 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित उर्फ काला को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/377/511 भादवि व 18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जावेद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 101 कि0ग्रा0 गॉजा (अंतर्रराष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख) बरामद।</u>

दिनॉकः 05–02–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 101 किलोग्राम गॉजा (अन्र्तराष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– जुल्फिकार अली पुत्र अशफाक हुसैन निवासी ग्राम फैजनगर, थाना भुता, जनपद बरेली।

2– नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 वीर सिंह निवासी भोगपुर मिठौनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

3– नितिन कुमार पुत्र स्व0 हरस्वरूप सिंह निवासी रामेश्वर कालोनी, एफ0सी0आई0 गोदाम के पास गली न0–09 थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगीः</u>

1– 101 कि0ग्रा0 नाजायाज गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख रूपये)

2– 03 अदद मोबाइल फोन

3– 4200/–रूपये नकद

4– 01 क्रेटा कार नं0 यूपी 15–सीई–7551

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–</u>

पैपटपुरा रोड पर मण्डी समिति की तरफ संतोषपुरी आश्रम मोड़ के पास। दिनांक 05–02–2025 समय 13.17 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को उडीसा, आन्ध्र प्रदेष आदि राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय स्त्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि 03 व्यक्ति गाड़ी संख्या यूपी 15 सीई–7551 क्रेटा में उच्च क्वालिटी का गांजा लेकर मण्डी समिति की तरफ से पैपटपुरा रोड पर आने वाले है। इस सूचना पर उ0नि0 राशिद अली, मु0आ0 संदीप, मु0आ0 नितिन, मु0आ0 सुनित, आ0 संजय यादव व मु0आ0 चालक मनोज कुमार अवस्थी की टीम द्वारा पैपटपुरा रोड पर मण्डी समिति की तरफ संतोषपुरी आश्रम मोड़ के पास से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका गिरोह है जो अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) की तस्करी करता है। जुल्फिकार ही यह गॉजा उडीसा के कटक से दीपक नामक व्यक्ति से खरीदा था। दीपक इन लोगों से रेलवे स्टेशन कटक उडीसा पर

मिलता है। जुल्फिकार ही बन्द बॉडी ट्रको से नम्बर प्लेट बदल–बदलकर उडीसा से गॉजा मंगाता है। यह उच्च क्वालिटी का गॉजा है जो अन्य गॉजा से काफी अधिक नशीला होता है और 10 गुना अधिक कीमत पर बिकता है। दिल्ली, नोएडा, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा व आसपास के जनपदो मे ग्राहको को मोटी रकम लेकर सप्लाई करते है। दिनांक 27–01–2025 को जुल्फेकार ने लगभग 1.51 कुन्तल गांजा मंगाया था, जिसमें से 40 कि0ग्रा0 कमरूद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी सिरसा खुमार थाना कोतवाली अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को व 10 कि0ग्रा0 अरूण पुत्र साजन निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइंस को बेचा है। शेष 101 कि0ग्रा0 गांजा कमरूद्दीन के माध्यम से दिल्ली में किसी महिला को देने जाना था। कमरूद्दीन से अमरोहा में मुलाकात होती।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद में मु0अ0सं0 91/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मझोला जनपद मुरादाबाद द्वारा की जायेगी।

————————